झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–494 वर्ष 2017

सुरेन्द्र मांझी, पे0–स्वर्गीय सुकु मांझी, निवासी ग्राम–गरगली, डाकघर–मांडू, थाना–मांडू, जिला–रामगढ़ .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची में है, अपने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. निदेशक (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची।
3. महाप्रबंधक, कुजू क्षेत्र, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर एवं थाना–कुजू, जिला–रामगढ़।
4. परियोजना अधिकारी, टोपा कोलियरी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर एवं थाना–टोपा, जिला–रामगढ़। .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री पी0के0 चौधरी, अधिवक्ता

उत्तरदाता सी0सी0एल0 के लिएः– श्री के0पी0 देव, अधिवक्ता

06/02.08.2017 दिनांक 25.03.2016 का आदेश, जिसके द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का उनका दावा खारिज कर दिया गया है, से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से सम्पर्क किया है।

2. याचिकाकर्ता के पिता टोपला कोलियरी में कार्यरत थे जहां वह पी0आर0 (यू0जी0एल0) के रूप में काम कर रहे थे, दिनांक 15.06.2004 को सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के समय, याचिकाकर्ता की आयु 12 वर्ष 04 महीने 23 दिन थी, जैसा कि कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने अपना नाम लाइव रोस्टर में रखने के लिए दिनांक 11. 09.2004 को एक आवेदन किया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 12.12.2015 को प्रस्तुत अभ्यावेदन की एक प्रति प्रतिवादी सी0सी0एल0 के विद्वान अधिवक्ता श्री के0पी0 देव द्वारा प्रस्तुत की गई है। आदेश दिनांक 27.03.2017 जिसके द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के दावा अस्वीकार कर दिया गया है, यह रिकॉर्ड करता है कि याचिकाकर्ता को लाइव रोस्टर पर रखने का आवेदन प्रतिवादी कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था। इस संबंध में सूचना दिनांक 23.03.2016 को प्रबंधक (पी/एमपी), सी0सी0एल0 मुख्यालय के कार्यालय से परियोजना अधिकारी, टोपा कोलियरी को भेजा गया था। प्रतिवादी का यह स्टैंड है कि अपने पिता की मृत्यु के लगभग 11 साल बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के लिए प्रतिवादी कंपनी से सम्पर्क किया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एन0सी0डब्ल्यू0ए0–VI का खंड 9.5.0. को संदर्भित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि उक्त वैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6364/2016 ''भीम पासवान बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल

लिमिटेड और अन्य'' में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने माना है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से इंकार के लिए विलम्ब एक आधार नहीं है।

4. भीम पासवान मामले में, विवाद दावेदार की उम्र के संबंध में था, जो प्रतिवादी कंपनी द्वारा कृत्रिम रूप से तय किया गया था। उस मामले में विधि अधिकथित नहीं किए गए हैं कि लाइव रोस्टर पर आश्रित को रखने के लिए आवेदन के लिए कानून में कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिवादी सी0सी0एल0 का स्टैंड है कि लाइव रोस्टर पर आश्रित को रखने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अनुकम्पा नियुक्ति पाने के लिए परिसीमा प्रदान की जाती है। याचिकाकर्ता ने एक सुस्पष्ट बयान दिया है कि दिनांक 11.09.2004 के आवेदन प्रस्तुत करने के बाद वह इसी तरह के आवेदन करते रहे। जो भी हो उनका स्वयं का बयान है कि याचिकाकर्ता की वर्ष 2009 में रोजगार प्राप्त करने के आयु हो गयी होगी, हालांकि, वह वर्ष 2017 में इस न्यायालय में आया है और याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त देरी के लिए कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं है। एन0सी0डब्ल्यू0ए0 के तहत अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान, जो वैधानिक बल प्राप्त कर चुका है, को इसके संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए। प्रतिवादी सी0सी0एल0 का यह विशिष्ट रूख है कि केवल दिनांक 02.12.2015 को, याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उत्तरदाताओं ने एल0पी0ए0 संख्या 111/2015 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है अपना पक्ष रखने के लिए कि लगभग 13 साल की देरी के बाद अनुकम्पा नियुक्ति की पेशकश नहीं की जा सकती है, यहां तक कि इस आधार पर कि याचिकाकर्ता

लाइव रोस्टर में अपने नामांकन के लिए पात्र था, जिसके लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया था।

5. इसे देखते हुए, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, इसे खारिज किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)